NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

शैक्षणिक क्षेत्र में यौन शिक्षा का महत्व

www.nextias.com

शैक्षणिक क्षेत्र में यौन शिक्षा का महत्व

संदर्भ

- छात्रों के कल्याण, लैंगिक-आधारित हिंसा और भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।

परिचय

- यौन शिक्षा को व्यापक रूप से मानव यौन विकास, प्रजनन स्वास्थ्य, संबंध, सहमति और लैंगिक पहचान पर संरचित शिक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- *यूनेस्को* इसे *व्यापक यौन शिक्षा (CSE)* के रूप में परिभाषित करता है, जो आयु-उपयुक्त, पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षण है और संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक तथा सामाजिक पहलुओं को समाहित करता है।
- यह परिचर्चा केवल शैक्षणिक नहीं है; बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, संवैधानिक अधिकारों, सांस्कृतिक संप्रभुता, लैंगिक न्याय और संस्थागत सुधार के संगम पर स्थित है।

यौन शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

- **मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा:** छात्रों को अपने शरीर, भावनाओं और संबंधों को समझने में सहायता करता है।
  - यौनिकता से जुड़ी शर्म, अपराधबोध और भ्रम को कम करता है।
  - स्वस्थ अंतरंगता की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है।
  - चिंता, अवसाद और पहचान-संबंधी तनाव को रोकने में सहायक।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता:**
  - भारत में 24 लाख लोग एचआईवी से पीड़ित हैं (NACO, 2022), जिनमें ~83% मामले विषमलैंगिक संचरण से जुड़े हैं — मुख्यतः जागरूकता की कमी के कारण।
  - *NFHS-5 (2019–21):* 15–19 वर्ष की 7.9% महिलाएँ पहले से ही माँ थीं या गर्भवती थीं।
  - मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी के कारण लाखों लड़कियाँ प्रति माह 2–3 दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं।
- **लैंगिक न्याय और हिंसा की रोकथाम:**
  - *NCRB 2022:* भारत में 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, जिनमें 94% से अधिक अपराधी पीड़िता के परिचित थे।
  - सहमति, जो यौन हिंसा रोकने की सबसे बुनियादी अवधारणा है, किसी भी मानक भारतीय पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती।
- **लैंगिक भूमिका का पुनर्निर्माण:**
  - उचित रूप से दी गई यौन शिक्षा सामाजिक लैंगिक निर्माण को चुनौती देती है — यह धारणा कि प्रभुत्व पुरुषत्व है और अधीनता स्त्रीत्व।
  - *पाउलो फ्रेरे* के "पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड" सिद्धांत के अनुसार, यौनिकता पर मौन उन शक्ति संरचनाओं को बनाए रखता है जो शोषण को सक्षम करते हैं।

- **POCSO क्रियान्वयन अंतराल:** *NCPCR* के आँकड़े बताते हैं कि लाखों POCSO मामले लंबित हैं — कई इसलिए क्योंकि पीड़ितों ने अज्ञानता के कारण कृत्य को शोषण के रूप में पहचाना ही नहीं।
- **संवैधानिक एवं अधिकार ढाँचा:**
    - *बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ* और अन्य निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए स्वास्थ्य, गरिमा और स्वास्थ्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया।
    - सूचना प्राप्त करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है (*श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ*) और यह व्यक्तिगत सुरक्षा एवं शारीरिक स्वायत्तता हेतु आवश्यक जानकारी तक विस्तारित होता है।
    - **अनुच्छेद 39(f):** बच्चों को शोषण और नैतिक/भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाएगा।
    - **अनुच्छेद 47:** राज्य अपने नागरिकों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाएगा।

यौनिकता और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध

- यौनिकता, अंतरंगता और मानसिक स्वास्थ्य गहराई से जुड़े हैं, फिर भी समाजों में भारी कलंकित हैं।
- यौनिकता और अंतरंगता से जुड़ी शर्म और भय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।
    - स्वस्थ यौन अभिव्यक्ति और अंतरंग संबंध भावनात्मक कल्याण, पहचान निर्माण एवं आत्म-सम्मान में योगदान करते हैं।
- इसके विपरीत, कलंक, दमन और जागरूकता की कमी चिंता, अवसाद एवं अलगाव का कारण बन सकती है।
- *WHO* ने बल दिया है कि शारीरिक स्वायत्तता और यौन संबंधों में स्वतंत्रता की कमी 'अत्यधिक पीड़ा' का कारण बनती है, जिससे शिक्षा एवं नीति के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता स्पष्ट होती है।

शैक्षणिक क्षेत्र की भूमिका

- **सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना:**
    - बिना भय या निर्णय के खुले संवाद को प्रोत्साहित करना।
    - समूह चर्चा और चिंतनशील अभ्यास जैसी सहभागितापूर्ण शिक्षण विधियों का उपयोग।
    - शिक्षकों और छात्रों के बीच विश्वास का निर्माण।
- **पाठ्यक्रम सुधार:**
    - मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लैंगिक अध्ययन जैसे अंतर्विषयक दृष्टिकोणों का समावेश।
    - सहमति और संबंध, यौन विविधता, डिजिटल यौनिकता एवं मीडिया साक्षरता जैसे विषयों को शामिल करना।
- **क्षमता निर्माण:**
    - शिक्षकों और परामर्शदाताओं को समावेशी प्रथाओं में प्रशिक्षित करना।
    - सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण सामग्री विकसित करना।

संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ

- **मौन और कलंक की संस्कृति:** शैक्षणिक संस्थान प्रायः यौनिकता और अंतरंगता पर खुले संवाद से बचते हैं।
    - इन विषयों पर सीमित पाठ्यक्रम और शोध हाशियाकरण को सुदृढ़ करते हैं।
    - भय और असहजता छात्रों और शिक्षकों के बीच सार्थक संवाद में बाधा डालते हैं।

- **जैव-चिकित्सीय और बहुसंख्यक ढाँचे का प्रभुत्व:** यौनिकता को प्रायः केवल चिकित्सीय विकारों तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की अनदेखी होती है।
  - आनंद, सहमति और शक्ति-संबंधी गतिशीलताओं को बड़े पैमाने पर बाहर रखा जाता है।
  - बहुसंख्यक मानदंड विविध यौन पहचानों और अनुभवों को हाशिए पर रखते हैं।
- **भारत में पाठ्यक्रम की कमी:** मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मुख्यतः *हेटेरोनॉर्मेटिव* और *सिसजेंडर्ड* है।
  - यौनिकता को संकीर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित का अभाव है:
    - सहमति और यौन नैतिकता।
    - क्वियर पहचान और वास्तविक जीवन अनुभव।
    - संरचनात्मक हिंसा और भेदभाव।
- **संस्थागत अंतराल:** उच्च शिक्षा में यौन शिक्षा का सीमित समावेश।
  - परामर्श सेवाओं में समावेशिता और संवेदनशीलता का अभाव।
  - नीतियाँ प्रायः प्रतिक्रियात्मक होती हैं, न कि निवारक।
- **लैंगिक-विशिष्ट प्रस्तुति:** कई वर्तमान कार्यक्रम केवल लड़कियों पर केंद्रित हैं — मासिक धर्म, गर्भावस्था रोकथाम।
  - लड़कों को बाहर रखा जाता है, जिससे यह धारणा सुदृढ़ होती है कि यौनिकता का प्रबंधन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है।

प्रमुख सरकारी पहल

- **किशोर शिक्षा कार्यक्रम (AEP):** शिक्षा मंत्रालय द्वारा *NACO* के सहयोग से शुरू किया गया।
  - माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लागू।
  - एचआईवी/एड्स जागरूकता, जीवन कौशल शिक्षा और जिम्मेदार व्यवहार एवं संबंधों पर केंद्रित।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK):** 10–19 वर्ष के किशोरों को लक्षित करने वाला प्रमुख कार्यक्रम।
  - यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक-आधारित हिंसा और नशा-उपयोग को कवर करता है।
- **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP):** *NACO* द्वारा लागू।
  - सुरक्षित यौन व्यवहार, एचआईवी/एड्स की रोकथाम और कलंक कम करने पर जागरूकता बढ़ाता है।
- **आयुष्मान भारत – स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम:** *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय* और *शिक्षा मंत्रालय* की संयुक्त पहल।
  - इसमें भावनात्मक कल्याण, लैंगिक संवेदनशीलता और प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता पर मॉड्यूल शामिल हैं।

अन्य संबंधित हस्तक्षेप

- **शैक्षणिक हस्तक्षेप:** संवेदनशील विषयों को संबोधित करने के लिए विश्वास निर्माण और सुरक्षित वातावरण आवश्यक।
  - पारंपरिक शैक्षणिक दूरी व्यक्तिगत सहभागिता को हतोत्साहित करती है।
  - *आइसब्रेकर्स* और चिंतनशील अभ्यास का उपयोग; छोटे समूहों में चर्चा से सहभागिता को प्रोत्साहन।
    - सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक अनुभवों से जोड़ना।
    - ये विधियाँ सहानुभूति, संवाद और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं।

- **न्यायिक और नीतिगत विकास:** सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में व्यापक यौन शिक्षा की वकालत की ताकि सूचित संवाद को बढ़ावा दिया जा सके।
- **हालिया विकास:** ट्रांसजेंडर-समावेशी यौन शिक्षा की माँग।
    - छात्र आत्महत्याओं को संबोधित करने हेतु अखिल भारतीय दिशानिर्देश, जो लैंगिक और यौन अभिविन्यास आधारित भेदभाव को मान्यता देते हैं।
    - ये कदम मानसिक स्वास्थ्य और समावेशिता को संबोधित करने में संस्थानों की भूमिका को रेखांकित करते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक यौन शिक्षा (CSE):** लैंगिकता, सहमति, विविधता और अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों का समावेश।
    - केवल जैव-चिकित्सीय ढाँचे से आगे बढ़ना।
    - *यूनेस्को* द्वारा 2018 में अवधारित, ताकि छात्रों को वैज्ञानिक रूप से सटीक और आयु-उपयुक्त ज्ञान प्रदान किया जा सके।
- **संस्थागत सुधार:** यौनिकता और मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्विषयक पाठ्यक्रमों की शुरुआत।
    - शिक्षकों और परामर्शदाताओं को समावेशी प्रथाओं में प्रशिक्षित करना।
- **देखभाल और सहयोग नेटवर्क का निर्माण:** सहपाठी समर्थन प्रणालियाँ और समावेशी समुदाय विकसित करना।
    - एकबारगी हस्तक्षेपों के बजाय सतत संवाद को प्रोत्साहित करना।
- **संरचनात्मक असमानताओं का समाधान:** सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत उत्पीड़न को मान्यता देना।
    - सभी पहचानों के लिए समानता और गरिमा को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- यौनिकता और अंतरंगता के आस-पास मौन तोड़ना मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक है।
- शैक्षणिक संस्थानों को कलंक से आगे बढ़कर समावेशी, संवाद-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- शिक्षा एक अधिक न्यायसंगत और समान समाज के निर्माण में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है, जो संवैधानिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों के अनुरूप है, सुरक्षित, सहानुभूतिपूर्ण तथा विविधता-सचेत वातावरण को प्रोत्साहित करके।

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक यौन शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Source: TH

■■■■